प्रे उ/7/17 (वादी) M.P.K...	**20/5/2024** अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 स्वयं भी उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-201 RTA इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के [illegible] लगातार	नारायण लाल प्रति नं 1 भैरूलाल प्रति. नं. 2 [illegible]

(वीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	प्रभु बनाम नारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद 90/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कब्जे काश्त की ग्राम नगरी पटवार हल्का नगरी के खाता संख्या 27 में अंकित आराजी कीता 05 कुल रकबा 1.79 हे. स्थित है। दिनांक 14.6.2016 को ग्राम नगरी में राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प का आयोजन हुआ। राज्य सरकार द्वारा सभी पटवारी एवं गिरदावर को आपसी सहमति से ज्यादा से ज्यादा बंटवारा प्रकरणों के निस्तारण करने का दबाव था, इस कारण बिना वादी की जानकारी के प्रतिवादीगण से मिल कर आराजीयात का सहमति से विभाजन करना बता दिया और खाली कागजों पर वादी के हस्ताक्षर आदि की पूर्ति करा दी गई। राजस्व कर्मचारियों व प्रतिवादीगण द्वारा अपने मनमाफिक तौर से बंटवारा कर लिया गया। वादग्रस्त आराजी में 1281/1, 1231/2, 1228/3 कीता 3 रकबा 0.56 हे. प्रतिवादी 01, 02 के हिस्से में, आ.नं. 1228/5, 1226/3, 1229 कीता 3 रकबा 0.58 हे. प्रतिवादी संख्या 03 के हिस्से में तथा 1228/4, 1226/2 कीता 02 रकबा 0.56 हे. वादी के हिस्से में रखी। प्रतिवादीगण की आराजीयात को तो एक साथ रखा परन्तु वादी की आराजीयात को दो टुकड़ों में बांट दिया एवं आ.नं. 1226/2 पर आने-जाने हेतु रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। वाद कारण दिनांक 10/6/2020 को जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेस लेने हेतु जाने पर गलत विभाजन की जानकारी होने से उत्पन्न होना बताकर अन्त में दिनांक 14.6.2016 को किए गए आपसी सहमति विभाजन एवं नामान्तरण संख्या 2028 को निरस्त किया जाकर आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज किए जाने हेतु घोषणात्मक डिक्री पारित किए जाने का आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण

---- लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ने जरिए अधिवक्ता उपस्थिति देकर सहमति का जवाब प्रस्तुत किया, जिससे वाद बिन्दु कायम नही किए गए। साक्ष्य मे वादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2, नामान्तरण संख्या 2028 ग्रा. नगरी प्रदर्श 3 तथा सहमति से विभाजन का प्रार्थना पत्र प्रदर्श 5 के रूप मे प्रदर्शित कराए। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रदर्श-5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा संयुक्त रूप से सहमति से विभाजन का प्रार्थना पत्र तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 से 03 की उपस्थिति मे स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष की आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद के आदेश दिए गए, जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण मे भी प्रतिवादीगण ने सहमति का जवाब दिया है यानि प्रतिवादीगण वाद पत्र के समर्थन मे है। इस प्रकार से पूरा प्रकरण सहमति पर आधारित है। यदि प्रतिवादीगण वादी को आराजी पर जाने का रास्ता देना चाहते है तो नियमानुसार दान, विक्रय पत्र या अन्य प्रकार के दस्तावेज पंजीबद्ध करावे। उभय पक्षकारान आपसी सहमति के विभाजन को निरस्त करा, वादग्रस्त आराजीयात को पुनः संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कराना चाहते हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नही है। अतः वादी का वाद पत्र बाबत धारा 88-89-209 RTA स्वीकार योग्य नही पाया जाने से खारीज किया जाता है। डिक्री जारी हो। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)